न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 22/2022 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	**बनाम**	1. श्री आयुष शर्मा पुत्र कृष्ण गोपाल शर्मा मैसर्स गणेश उद्योग फैक्ट्री मिर्च मण्डी रोड, गांधी नगर, भीलवाडा
– प्रार्थी		––विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित

2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 01.07.2022

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं, कि विपक्षी आयुष शर्मा पुत्र कृष्ण गोपाल शर्मा मैसर्स गणेश उद्योग फैक्ट्री मिर्च मण्डी रोड, गांधी नगर, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु मुंगफली तेल (तिरूमाला ब्राण्ड) इत्यादि का विकय कर रहा था। आयुष शर्मा पुत्र कृष्ण गोपाल शर्मा मैसर्स गणेश उद्योग फैक्ट्री मिर्च मण्डी रोड, गांधी नगर, भीलवाडा का विकेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् मुंगफली तेल (तिरूमाला ब्राण्ड) के 1.4 –1.4 लीटर की कुल 12 सील्ड प्लास्टिक पीपी तेल रखी थी। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना सबस्डैण्डर्ड होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि मुंगफली तेल (तिरूमाला ब्राण्ड) नमूना एक्स–1141 में Butyro –refractometer reading at 40^0 C पर 60 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत यह 54 से 57.1 के मध्य होना चाहिये था। इसी प्रकार Saponificastion value 202.82 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत यह 188 से 196 के मध्य होना चाहिये था। इसी प्रकार Iodine value 116.94 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत यह 85 से 99 के मध्य होना चाहिये था। इस प्रकार विपक्षी द्वारा **Food Safety and standards** (Food Products Standareds and Food Additive) Regulation, 2011 का उल्लघंन कर सबस्टैण्डर्ड मुंगफली तेल (तिरूमाला ब्राण्ड) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 मे निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है।

विपक्षी ने अपने जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुये बहस में बताया कि वह स्वयं मैसर्स गणेश उद्योग फैक्ट्री का प्रोपराईटर हैं। सैम्पलिंग के लिए लिया गया खाद्य तेल सबस्टैण्डर्ड पाया गया। वर्तमान में तेल की गुणवत्ता में सुधार कर लिया गया हैं। पूर्व में तेल फिल्टर की मशीन में तकनीकी खामियां थी जिसे सुधार लिया गया है। निवेदन हैं कि कम से कम जुर्माना किया जावे।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./15/FSSA/2022/15 दिनांक 10.01.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स –1141 मुंगफली तेल (तिरूमाला ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की **जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि मुंगफली तेल (तिरूमाला ब्राण्ड) नमूना एक्स–1141 में Butyro –refractometer reading at 40^0 C पर 60 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत यह 54 से 57.1 के मध्य होना चाहिये था। इसी प्रकार Saponificastion value 202.82 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत यह 188 से 196 के मध्य होना चाहिये था। इसी प्रकार Iodine value 116.94 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत यह 85 से 99 के मध्य होना चाहिये था। इस प्रकार विपक्षी द्वारा Food Safety and standards (Food Products Standareds and Food Additive) Regulation, 2011 का उल्लघंन कर सबस्टैण्डर्ड मुंगफली तेल (तिरूमाला ब्राण्ड) का विकय कर**

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 मे निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड मुंगफली तेल (तिरूमाला ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय किया गया है, जो कि खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं पैकेजिंग Food Safety and standards (Food Products Standareds and Food Additive) Regulation, 2011 के प्रावधानों का उल्लघंन है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 1,00,000/–रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 03 माह के अन्दर शास्ति जरिये चालान जमा करा चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा।

2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि निर्णयानुसार विपक्षी से शास्ति राशि निर्धारित बजट हैड में जमा कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

3 श्री आयुष शर्मा पुत्र कृष्ण गोपाल शर्मा मैसर्स गणेश उद्योग फैक्ट्री मिर्च मण्डी रोड, गांधी नगर, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)